

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या :- 142/2021
रास्ता प्रकरण


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

25. 8. 2021

तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। पटवार मंडल कुलोद कला के राजस्व ग्राम अजाड़ी खुर्द का प्रचलित रास्ता जो खसरा नम्बर 374/135, 375/135, 376/135, 377/135, 135 में स्थित है कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, इत्यादि रास्ता दर्ज करने की अभिषंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया जाकर रास्ता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुन्झुनू को सुना गया। रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू होना पाया गया। तहसीलदार झुन्झुनू के अनुसार प्रचलित रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/ 2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.21 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकार्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त निजी खातेदारी में ही रहेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



उप सहायक प्रियकारी
झुन्झुनू (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :- 140/2-22 राजेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

22-8-2022 आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय तहसीलदार रिपोर्ट पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 194 में काश्तकार का नाम जयन्त कुमार पुत्र रामू दर्ज है जिसके स्थान पर राजेश कुमार पुत्र रामू दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 194 में काश्तकार का नाम जयन्त कुमार पुत्र रामू दर्ज जबकि उसका सही नाम राजेश कुमार पुत्र रामू है जो शुद्ध किये जाने बाबत अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित एवं न्यायोचित है। अतः

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि ग्राम झुन्झुनू की जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 194 में काश्तकार जयन्त कुमार पुत्र रामू के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र रामू शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश की पालना हेतु तहसीर जारी हो। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 22-8-2022 को सुनाया गया।


ज. ए. ए. ए. (स. न.)
मुन्झुनू (स. न.)